

बिहार सरकार
बिहार विकास मिशन



16-2

दिनांक 30.01.2018 को अपराह्न 06:00 बजे अध्यक्ष, उप मिशन-सह-विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण एवं नगर विकास उप मिशन अंतर्गत "हर घर नल का जल" (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) निश्चय की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

प्रमुख निश्चय

B.V.M.

स्थिति: बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची (अनुलग्नक - 1)।



2. अध्यक्ष, उपमिशन-सह-विकास आयुक्त, बिहार द्वारा उप मिशन के PPT के आधार पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत क्रियान्वित "हर घर नल का जल" (ग्रामीण) निश्चय के लक्ष्य निर्धारण एवं प्रगति आदि पर चर्चा की गयी।

3. अपर निदेशक, प्रोग्राम मॉनिटरिंग, बिहार विकास मिशन द्वारा वर्षवार/योजनावार लक्ष्य का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं किये जाने तथा मार्च, 2018 तक निश्चय के तहत 50% लक्ष्य की प्राप्ति की संभाव्यता की ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागने सूचित किया कि:

क) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा "हर घर नल का जल" निश्चयकेतहत क्रियान्वित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों एवं वार्डों की पहचान कर ली गयी है तथा शीघ्र वार्षिक जिलावार/योजनावार लक्ष्य संसूचित कर दिया जायेगा।

ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के कुल लक्ष्य एवं आगामी वित्तीय वर्ष तक के संचयी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष अभियान चलायी जानी होगी।

4. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' (ग्रामीण) के संवध में निम्न सूचना दी गयी :-

क) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा "हर घर नल का जल" (ग्रामीण) निश्चय के क्रियान्वयन हेतु अब तक लगभग 47000 वार्ड चिन्हित किये गए हैं जिनमें चालू जल स्रोत की गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया के समापन पर ग्रामीण वार्डों की संख्या में 2000 की वृद्धि होने की संभावना है। इस क्रम में नयी गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों के चिन्हित किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त ग्रामीण वार्डों में पंचायती राज विभाग के मॉडल के तहत "हर घर नल का जल" (ग्रामीण) निश्चय का कार्य प्रारंभ नहीं करने का अनुरोध किया जा रहा है। जांच की प्रक्रिया के समापन के उपरांत पुनः एक संशोधित सूची अलग से मिशन कार्यालय सहित सभी सम्बंधित को उपलब्ध कराई जाएगी।

ख) मुख्यमंत्री पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित) निश्चय योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 5000 वार्डों में निविदा सहित अब तक कुल लगभग 7500 वार्डों में निविदा निष्पादित की जा चुकी है। साथ ही 20% योजनाओं में Agreement भी हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

ग) लक्षित आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित वार्डों के लगभग 90% वार्डों में निविदा निष्पादित की जा चुकी है तथा मार्च, 2018 तक शेष सभी वार्डों में निविदा निष्पादित कर दी जाएगी। साथ ही मार्च, 2018 तक 30% लौह प्रभावित वार्डों में निविदा निष्पादित कर दी जायेगी।

घ) मुख्यमंत्री पेयजल (गैर-गुणवत्ता प्रभावित) निश्चय योजना के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने हेतु पंचायती राज विभाग के साथ सक्रियता के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

ड.) पंचायती राज विभाग की मार्ग-दर्शिका के प्रावधान के अनुरूप गैर-गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में योजना के समुचित एवं निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु योजना के क्रियान्वयन की विभागीय राशि के हस्तांतरण की दिशा में पंचायती राज विभाग के बजट में आवश्यक प्रावधान कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी।

च) भोजपुर जिलामें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के लिए प्राकलन तैयार कराने में होने वाली कठिनाई के निवारण हेतु अध्यक्ष द्वारा राज्य स्तर पर ऐसी घटना की पुनर्वृत्ति पर रोक लगाने की दिशा में पंचायती राज की मार्ग-दर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु 'हर घर नल का जल' योजना के प्राकलन के सूत्रण, तकनीकी

9/1/18

22-02-18

2212

